**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**02.02.2024 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 106 का उत्तर**

**महिला यात्रियों की सुरक्षा**

**106. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों को सुरक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) सरकार द्वारा यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में यात्रा करते समय महिलाओं के साथ घटित यौन अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

************

महिला यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में दिनांक 02.02.2024 को राज्य सभा में श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी के अतारांकित प्रश्न सं. 106 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण**

(क) से (ग): 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार के विषय हैं, और इसलिए राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/ज़िला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज और जांच-पड़ताल करने और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा सुलभ कराने और तत्संबंधी मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों की पूर्ति करता है।

रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के समन्वय से रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. भेद्य और अभिनिर्धारित मार्गों/रेलखंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा प्रतिदिन मार्गरक्षण की जा रही रेलगाड़ियों के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।
2. तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [ जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत है] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
3. रेलवे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि के द्वारा यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का संवर्धन किया जा सके और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके।
4. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है।
5. सभी नवनिर्मित इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों (ईएमयू), वातानुकूल ईएमयू रेकों, मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) और कोलकाता मेट्रो के वातानुकूल रेकों में क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न कैमरे लगाए गए हैं।
6. यात्रियों को चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए शिक्षित करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा बार-बार घोषणाएं की जाती हैं।
7. यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय करने हेतु शिक्षित करने के लिए नियमित आधार पर पोस्टरों, बैनरों, पर्चों के वितरण, रेल डिस्प्ले नेटवर्क (आरडीएन) आदि पर वीडियो आदि द्वारा रेल परिसरों और रेलगाड़ियों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

8. 'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत, जहां लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्री की पूरी यात्रा के दौरान अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा पर फोकसशुदा ध्यान दिया गया है।
9. क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव सीमा तक रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में पुरुष और महिला रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों की उपयुक्त संयुक्त संख्या तैनात करने के अनुदेश दिए गए हैं।
10. महिलाओं के लिए आरक्षित कूपों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं।
11. अकेले या महिला यात्रियों के समूह में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए, भले उनकी आयु कुछ भी हो, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में स्लीपर श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा और गरीब रथ/राजधानी/दूरन्तो/पूर्णतया वातानुकूल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तृतीय वातानुकूल श्रेणी में छह शायिकाओं का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
12. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में छह से सात निचली शायिकाएं प्रति सवारीडिब्बा, वातानुकूल 3 टियर में चार से पांच निचली शायिकाएं प्रति सवारीडिब्बा और वातानुकूल 2 टियर में तीन से चार निचली शायिकाएं प्रति सवारीडिब्बा का संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।
13. लंबी दूरी की अधिकांश मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच (एसएलआर) में महिलाओं के लिए द्वितीय श्रेणी स्थान।
14. मांग के पैटर्न के साथ-साथ स्थान की उपलब्धता के आधार पर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों/डीजल मल्टीपल यूनिटों/मल्टी मोडाल परिवहन प्रणाली रेलगाड़ियों और स्थानीय यात्री रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए अनन्य अनारक्षित सवारीडिब्बे/कूपे।
15. मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद और चेन्नई के उपनगरीय रेल सेक्शनों के साथ-साथ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रेल सेक्शनों पर लेडीज़ स्पेशल ईएमयू/मेमू/एमएमटीएस सेवाएं चलाई जाती हैं।
16. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

रेलों में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए रिपोर्ट की गई घटनाओं की राज्य-वार संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है। पिछले 3 वर्षों अर्थात 2020, 2021 और 2022 के दौरान भारतीय रेल में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध के मामलों की संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in/crime-in-india.html) पर उपलब्ध है।

*******